| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22/9/17 | वकील प्रार्थी पूरणमल उपस्थित। प्रार्थना पत्र 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी व आदेश 22 नियम 2 व 3 जाब्ता दीवानी पर बहस सुनी गई।<br>प्रकरण में प्रार्थी पूरणमल की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत कर निवेदन किया उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम संहवन से पूरणमल पुत्र आनन्दीलाल लिख दिया गया जबकि सही नाम पूरणमल पुत्र त्रिलोकदास है, जिसे दुरूस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।<br>प्रार्थना पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के विषय में प्रार्थी पूरणमल ने आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें पूरणमल के पिता का नाम त्रिलोकदास अंकित होना पाया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र में लाल स्याही से इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।<br>प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 व 3 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का पेश कर निवेदन किया कि वादी त्रिलोकचन्द की मृत्यु हो गई है, वादी त्रिलोकदास के विधिक वारीस एक ही प्रतिवादी संख्या 3 पूरणचन्द है, इसके अलावा कोई विधिक वारीस नही है। तथा उक्त वाद पूरणचन्द आगे चलाना चाहता है, अतः वादी के स्थान पर उसके विधिक वारीस प्रतिवादी संख्या 3 पूरणचन्द को प्रतिस्थापित किये जाकर आगे कार्यवाही किये जाने का निवेदन प्रार्थना पत्र में अंकित किया है।<br>मेरे द्धारा प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी पूरणमल ने अपने प्रार्थना पत्र में वादी त्रिलोकदास की मृत्यु की तारीख को हुई उसकी कोई तारीख अंकित नही की ओर ना उसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। जबकि वादी त्रिलोकदास ने अपने वाद पत्र में पूरणमल को बतौर प्रतिवादी संख्या 3 पक्षकार बनाया गया। एंव प्रतिवादी संख्या 3 ने भी अपने जवाबदावे में कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नही किया गया है, जबकि पूरणमल स्वंय अपने पिता त्रिलोकदास के साथ बतौर वादी बनकर वाद प्रस्तुत कर सकता था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 3 बतौर वादी बनकर वाद की कार्यवाही को आगे जारी रखने का कोई कानून अधिकारी नही पाया जाता है। अतः प्रार्थी पूरणमल की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारीज किया जाता है। तथा प्रकरण में कार्यवाही अबेट की जाती है।<br>साथ ही न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के मध्यनज़र तहसीलदार मसूदा को तहरीर जारी कर आदेश दिये जाते है, कि मौजा दानाजी की ढाणी पटवार क्षैत्र खरवा प्रथम तहसील मसूदा में स्थित आराजी खसरा नंबर 1029 रकबा 04–14–10 भूमि के विषय में स्व0 आनन्दीलाल के विधिक वारीस पूरणमल पुत्र त्रिलोकदास के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबदी में इन्द्राज करें। आदेश सनाया गया पत्रावली बाद तकमील फैसल शमार होकर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 11:37:19 IST
Reason: SelfAttested